न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलियॉं, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

तारीख दायर 9.5.22

प्रकरण संख्या :– 137/22

चतरा पिता भारमल जाति बैरवा, उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा (राज0)

––प्रार्थी

बनाम

1– धन्ना पिता बलदेव जाति गुर्जर, उम्र वयस्क निवासी आरोली तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाडा राज0

2– बहादुर पिता देवा जाति बंजारा, उम्र वयस्क निवासी रसदपुरा तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा राज0

3– शंकर पिता मियाचन्द जाति भील, उम्र वयस्क निवासी सोपुरा तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाड़ा राज0

4– भु–स्वामी मार्फत तहसीलदार महोदय बिजौलियॉं तहसील बिजौलियॉं जिला भीलवाडा राज0

––विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 11–128 रा0ले0रे0 एक्ट

दिनांक 9.5.2022

:–आदेश:–

प्रार्थनापत्र **प्रार्थी श्री चतरा बैरवा** ने जरिये अभिभाषक **श्री सुमित जोशी** प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि मेरे एकल/संयुक्त खाते कि भुमि **मौजा ग्राम आरोली, पटवार क्षैत्र आरोली, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियॉं में स्थित खाता संख्या 261 आराजी नंबर 310/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भुमि** स्थित हैं। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगड़ा फसाद करते हैं। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें साथ में प्रार्थनापत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न हैं।

प्रार्थना पत्र रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी और पत्रावली का अवलोकर किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के अवलोकर से प्रार्थी वादग्रस्त आराजियात का खातेदार/गेर खातेदार काश्तकार हैं। पडोसियान के विवाद करने बाबत शपथपत्र संलग्न हैं। पत्थरगढी से किसी के स्वात्व पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडता हैं।

अतः प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड़ रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया **मौजा ग्राम आरोली, पटवार क्षैत्र आरोली, भु–अभिलेख निरिक्षक क्षैत्र सलावटिया, तहसील बिजौलियॉं में स्थित खाता संख्या 261 आराजी नंबर 310/2 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भुमि** की बाशामालात पड़ोसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता हैं एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पलनार्थ तहसीलदार बिजौलियॉं को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियॉं